

समाहरणालय, मुंगेर।

(जिला विकास शाखा)

आदेश

माननीय पूर्व विधायक श्री शकुनी चौधरी के विधायक मद की राशि से अनुशंसित एवं इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 318/जि० वि०, दि० 20.12.10 द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 50% (पचास प्रतिशत) राशि विमुक्त की गयी थी, तथा इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 66/जि०वि०, दि० 02.05.12 द्वारा 40% (चालीस प्रतिशत) राशि कार्या० एजेन्सी को उपलब्ध करा दी गई हैं। अवशेष 10% (दस प्रतिशत) राशि विमुक्त करने की स्वीकृति कार्यान्वयन एजेन्सी से प्राप्त मापी पुस्त/कार्य स्थल का रंगीन फोटो सूचना पट्ट के साथ निरीक्षण प्रतिवेदन एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर इस शर्त पर 10% (दस प्रतिशत) राशि विमुक्त की स्वीकृति प्रदान की जाती है कि इसके प्रतिकूल तथ्य की पुष्टि होने पर राशि की वसूली कार्यान्वयन एजेन्सी से की जायेगी। कार्यान्वयन पदाधिकारी को यह भी निदेश दिया जाता है कि सभी योजनाओं का स्वयं अपने स्तर से जांच कर संतुष्ट होने के पश्चात् ही पूर्ण राशि का भुगतान करेंगे।

नाजिर जिला विकास शाखा मुंगेर को यह निदेश दिया जाता है कि निम्न तालिका के स्तम्भ 7 (सात) में उल्लेखित राशि का चेक स्तम्भ 3 (तीन) में अंकित पदा० को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

क म	योजना का नाम	कार्यान्वयन एजेन्सी	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	मापी पुस्त के आधार पर व्यय की गई राशि	अब तक विमुक्त की गई राशि	मापीपुस्त के आधार पर विमुक्त राशि(10%)
1	2	3	4	5	6	7
1.	खैरा ग्राम में प्रमोद सिंह घर से उमेश सिंह घर की ओर 150फीट पथ में पी०सी०सी० कार्य।	प्र०वि०पदा०, तारापुर।	68400	68400	61560	6840
कुल			68400	68400	61560	6840

द्रष्टव्य

1. प्रशासनिक स्वीकृति की राशि :-68400 (अड़सठ हजार चार सौ रुपया)
2. कुल विमुक्त राशि :- 61560 (एकसठ हजार पांच सौ साठ रुपया)
3. अवशेष विमुक्त की राशि :- 6840 (छः हजार आठ सौ चालीस रुपया)

हो/-
उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

ज्ञापांक 426 / जि०वि०, मुंगेर / दि० 16-11-13 /

- प्रतिलिपि :- जिला कोषागार पदा०, मुंगेर / जिला सूचना एवं विज्ञान पदा०, मुंगेर / नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि संबंधित योजना को अपने स्तर से जांच कर जांच प्रतिवेदन अपने मंतव्य के साथ भेजना सुनिश्चित किया जाय।
- प्रतिलिपि :- प्रखंड विकास पदाधिकारी, तारापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ अपने नाजिर को चेक प्राप्त करने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे।


उप विकास आयुक्त
मुंगेर।